रेल दावा अधिकरण, नागपुर पीठ, नागपुर के समक्ष

कोरम : श्री संजीव अग्रवाल, माननीय सदस्य (न्यायिक)
श्री सैयद निशात अलि, माननीय सदस्य (तकनीकी)

दावा आवेदन संख्या – ओए।।(यू)/एनजीपी/78/2022

दावा दर्ज करने की तिथि – 06.12.2022
निर्णय तिथि – 05.01.2024

वादी : 1. दिलीप सुनिथा पत्नी दिलीप भास्कर
उम्र 44 वर्ष, व्यवसाय – गृहिणी

2. दिलीप सिद्धार्थ सुपुत्र दिलीप भास्कर
उम्र 27 वर्ष, व्यवसाय – श्रमिक

3. दिलीप हर्षवर्धन सुपुत्र दिलीप भास्कर
उम्र 19 वर्ष, व्यवसाय – श्रमिक

सभी निवासी – नीला, रेन्जल मंडल,
जिला – निजामाबाद, तेलंगाना – 503 235

बनाम

प्रतिवादी : भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक
दक्षिण मध्य रेल, सिकंदराबाद

दावे की राशि रु.8,00,000/–

निर्णय

आवेदकों की ओर से अधिवक्ता डी.एस. लांबट
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एस. मेंदिरत्ता

आवेदकों ने यह दावा दिलीप भास्कर सुपुत्र दिलीप मारिबा, उम्र 49 वर्ष की अनपेक्षित दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण मृतक की पत्नी, पुत्र तथा मृतक के आश्रित होने के नाते प्रतिवादी रेलवे के विरूद्ध रेल दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 16 के तहत इस अधिकरण में दाखिल किया है और प्रतिवादी से रु.8.00 लाख के मुआवजे की मांग की है।

1. **दावा आवेदन के अनुसार दुर्घटना के मुख्य अंश :–**

क.	दुर्घटना की तिथि	:	11.03.2022
ख.	मृतक का नाम	:	दिलीप भास्कर सुपुत्र दिलीप मारिबा
ग.	आवेदकों का मृतक के साथ रिश्ता	:	आवेदिका क्र.1 मृतक की पत्नी तथा आवेदक क्र. 2 एवं 3 मृतक के पुत्र हैं।

घ.	ट्रेन एवं यात्रा का विवरण	:	मृतक ने दिनांक 11.03.2022 को उसकी पत्नी के साथ धर्माबाद से औरंगाबाद की यात्रा ट्रेन नं. 17064 सिकंदराबाद–मनमाड़ अजंता एक्सप्रेस से करने के लिए रेल टिकट नं.यू.आर.एफ. 19557206 खरीदी थी।
ड.	संक्षिप्त में घटना का विवरण	:	मृतक धर्माबाद रेलवे स्टेशन से उक्त ट्रेन में सवार होते समय ट्रेन के अचानक झटके की वजह से चलती ट्रेन से धर्माबाद रेलवे स्टेशन पर कि.मी. नं.421/4 – 421/5 पर गिर गया। गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आवेदकों ने कथित घटना को अनपेक्षित दुर्घटना बताकर प्रतिवादी रेलवे से मुआवजे की मांग की है और अधिकरण के समक्ष यह दावा आवेदन दाखिल किया है।
च.	अधिकरण का क्षेत्राधिकार	:	घटनास्थल अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है।

2. **जवाब के मुख्य अंश** :

अ. प्रतिवादी रेलवे का लिखित कथन में कहना है कि मृतक चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में स्वयं अधिरोपित चोट की घटना में मृत हुआ था। जिसके लिए प्रतिवादी रेलवे जवाबदार नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में आवेदक मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

ब. **डीआरएम रिपोर्ट का सार** :– डीआरएम रिपोर्ट में प्रतिवादी रेलवे का कहना है कि कथित घटना मृतक की लापरवाही की वजह से घटित हुई थी। ट्रेन के गार्ड के कथनानुसार उसके द्वारा चलती गाड़ी में चढ़ने से मना करने बाद भी मृतक चलती ट्रेन में दरवाजे का हैण्डल पकड़ कर चढ़ रहा था। लोको पायलट एवं गार्ड के कथनानुसार कथित ट्रेन में झटका नहीं लगा था। मृतक उसकी मृत्यु के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कथित घटना में रेल प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

स. **ट्रायल के दौरान किए गए प्रतिवाद या डीआरएम रिपोर्ट से भिन्न तथ्य** :– कुछ नहीं

3. **मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किए गए मामले एवं उनका अंश** : कुछ नहीं

4. **प्रस्तुत की गई गवाही का विवरण** :–

आवेदिका दिलीप सुनिथा पत्नी दिलीप भास्कर की गवाही ए.डब्ल्यू–1 के तौर पर पेश की गई एवं दस्तावेज ए–1 से ए–18 चिन्हित किए गए। आवेदिका ने शपथपत्र ए.डब्ल्यू.–1 प्रस्तुत किया। प्रतिवादी रेलवे द्वारा ट्रेन नं.17064 सिकंदराबाद–मनमाड़ अजंता एक्सप्रेस के गार्ड श्री रंग बहादुर बिक्रम सिंह की गवाही आर.डब्ल्यू.–1 के तौर पर पेश की। प्रतिवादी रेलवे द्वारा विभिन्न दस्तावेजों सहित डीआरएम रिपोर्ट दाखिल की गई जिसे एक्जीबिट आर–1 चिन्हित किया गया।

5. निर्धारित किए गए मुद्दे एवं मुद्दों पर विचार कर लिया गया निर्णय :

दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर निर्धारित किए गए मुद्दे :–

मुद्दा नं. 1. – क्या आवेदक रेल अधिनियम की धारा 123 (ब) के अनुसार मृतक के आश्रित हैं ?

6. आवेदिका क्र.1 मृतक की पत्नी तथा आवेदक क्र. 2 एवं 3 मृतक के पुत्र हैं। आवेदकों ने रेकार्ड पर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदकों के आधार कार्ड की प्रतियां तथा मृतक के आधार कार्ड की प्रति रेकार्ड पर दाखिल की है। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक रेल अधिनियम की धारा 123 (b) के तहत मृतक के आश्रित हैं। प्रतिवादी रेलवे द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात होता हो कि आवेदकों के अलावा भी मृतक के अन्य आश्रित हैं। तद्नुसार इस मुद्दे का निर्धारण किया जाता है।

मुद्दा नं.2. क्या मृतक संबंधित तिथि को वैध यात्रा टिकट के साथ कथित ट्रेन का वास्तविक यात्री था ?

7. आवेदकों ने एक्जीबिट ए–1 पर धर्माबाद से औरंगाबाद की यात्रा के लिए दिनांक 11.03.2022 को 21:53 बजे जारी की गई यात्रा टिकट नं.यू.आर.एफ. 19557206 की प्रति रेकार्ड पर दाखिल की है। जप्ती पंचनामा दिनांक 12.03.2022 (एक्जीबिट ए–5) के अनुसार उक्त रेलवे टिकट एवं अन्य सामान मृतक के यात्रा बेग से पास से प्राप्त हुआ था। ए.डब्ल्य.1 दिलीप सुनिथा पत्नी दिलीप भास्कर ने शपथपत्र में बताया कि मृतक ने उसके सामने रेल टिकट खरीदी थी। प्रतिवादी रेलवे द्वारा उक्त टिकट के सत्यापन में भी टिकट को वैध पाया गया एवं डीआरएम रिपोर्ट के साथ उक्त टिकट को जारी करने का विवरण भी दाखिल किया गया है। अतः उक्त विवरण से एवं वैध रेल टिकट की उपलब्धता से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक यात्रा टिकट के साथ एक अधिकृत यात्री के नाते यात्रा कर रहा था। अतः यह मुद्दा आवेदकों के पक्ष में उत्तरित किया जाता है।

मुद्दा नं. 3. क्या मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम की धारा 124–ए (धारा 123(सी) के साथ पठित) के अनुसार दावा आवेदन में अभिकथित अनपेक्षित दुर्घटना की वजह से हुई ?

8. दावा आवेदन के अनुसार मृतक ने दिनांक 11.03.2022 को उसकी पत्नी के साथ धर्माबाद से औरंगाबाद की यात्रा करने के लिए रेल टिकट निकाला और वह धर्माबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नं.17064 सिकंदराबाद–मनमाड़ अजंता एक्सप्रेस में सवार होते समय ट्रेन के अचानक झटके की वजह से वह चलती ट्रेन से धर्माबाद रेलवे स्टेशन पर कि.मी. नं.421/4 – 421/5 पर गिर गया। गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आवेदिका दिलीप सुनिथा पत्नी दिलीप भास्कर ए.डब्ल्य.1 ने प्रति–परीक्षण में बताया कि उसने घटना को स्वयं नहीं देखा। यह कहना सही है कि घटना के समय मृतक के पास भारी सामान था। उसे घटना की जानकारी दिनांक 13.03.2022 को हुई। शपथपत्र ए.डब्ल्यू.–1 में उसने बताया कि वह महिला बोगी में बेटी थी। मुदखेड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रूकने के बाद उसने मृतक को ट्रेन में खोजा परंतु वह उसे नहीं मिला। मुदखेड़ रेलवे स्टेशन से उक्त गाड़ी में वह दोबारा नहीं बैठ पाई और दूसरी ट्रेन से वह औरंगाबाद पहुंची। औरंगाबाद में भी उसे मृतक नहीं मिला। वह वापस उसके गांव धर्माबाद

13.03.2022 को सुबह पहुंची जहां उसे मृतक के साथ हुई घटना की जानकारी मिली। संबंधित पुलिस अधिकारियों ने उसके पुत्र सिद्धार्थ को दिनांक 12.03.2022 को घटना की जानकारी दी थी। आवेदकों ने कथित घटना को अनपेक्षित दुर्घटना बताकर प्रतिवादी रेलवे से मुआवजे की मांग की है और अधिकरण के समक्ष यह दावा आवेदन दाखिल किया है।

9. प्रतिवादी रेलवे के गवाह आर.डब्ल्यू.–1 श्री रंग बहादुर बिक्रम सिंह जो दिनांक 11.03.2022 को ट्रेन नं.17064 सिकंदराबाद–मनमाड़ अजंता एक्सप्रेस में गार्ड के रूप में कार्य कर रहे थे ने प्रति–परीक्षण में यह स्वीकार किया कि कथित घटना ट्रेन के रवाना होते समय धर्माबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं.1 पर घटित हुई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि गार्ड रफ जनरल (एक्जीबिट ए–3) में उन्होंने यह दर्ज किया कि एक व्यक्ति चलती ट्रेन को पकड़ने के प्रयास में जख्मी हो गया। उप स्टेशन प्रबंधक धर्माबाद को भी दिए गए मेमो में उन्होंने इसी तथ्य की सूचना दी थी। शपथपत्र एवं आर.पी.एफ को दिनांक 31.01.2023 को दिए गए बयान (एक्जीबिट आर–4) में भी उन्होंने यह बताया है कि धर्माबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर 22:40 बजे ट्रेन रवाना होते समय एक अज्ञात व्यक्ति जो दरवाजे के लोहे का रॉड पकड़कर चलती गाड़ी पकड़ने का प्रयास कर रहा था, फिसलकर प्लेटफार्म पर गिरकर घिसटाया। उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने पिछली सामान्य बोगी से चैन पुलिंग की थी। उप स्टेशन प्रबंधक धर्माबाद द्वारा दिनांक 11.03.2022 को जारी किए गए मेमो में भी उक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

10. प्रतिवादी रेलवे ने मृतक के ट्रेन से गिरने के तथ्य को स्वीकार किया परंतु प्रतिवादी रेलवे का कहना है कि मृतक चलती गाड़ी में चढ़ने के प्रयास में स्वयं की लापरवाही एवं स्वयं अधिरोपित चोट की घटना में मृत हुआ था। लोको पायलट एवं गार्ड के कथनानुसार कथित ट्रेन में झटका नहीं लगा था। कथित घटना में मृतक की मृत्यु के लिए प्रतिवादी रेलवे जवाबदार नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में आवेदक मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। परंतु प्रतिवादी रेलवे के प्रतिवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मृतक रेल टिकट के साथ वैध यात्री था। वह यात्रा आरंभ करने के स्टेशन पर ट्रेन में सवार हो रहा था। यात्रा आरंभ करने के स्टेशन पर यदि कोई वैध यात्री ट्रेन में सवार होते समय ट्रेन से गिरकर जख्मी होकर मृत हो जाए तो इसे अनपेक्षित घटना ही माना जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सिविल अपील सं.4945/2018 भारत संघ बनाम रीना देवी के मामले में पैरा 16.6. में यह माना है कि:

> *" ....Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de-boarding a train will be an 'untoward incident' entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त दर्शाए गए रीना देवी के मामले के पैरा 16.1 में यह भी उल्लेख किया गया है कि:

> *".......In Prabhakaran Vijaya Kumar (supra) it was held that Section 124A lays down strict liability or no fault liability in case of railway accidents. Where principle of strict liability applies, proof of negligence is not required."*

रीना देवी के उपरोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त इस मामले में भी पूर्णतः लागु होते हैं, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कथित घटना अनपेक्षित घटना की श्रेणी में आती है और मृतक की मृत्यु चलती ट्रेन से गिरकर अनपेक्षित दुर्घटना में हुई थी। अतः यह मुद्दा आवेदकों के पक्ष में उत्तरित किया जाता है.

मुद्दा नं. 4. राहत ?

11. मुद्दा क्र.1 में यह साबित हो गया है कि आवेदक मृतक के आश्रित हैं एवं मुद्दा क्र.2 एवं 3 में यह भी साबित हो गया है कि मृतक एक अधिकृत यात्री था और उसकी मृत्यु अनपेक्षित दुर्घटना में हुई थी, अतः आवेदक मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः इस मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

12. यह दावा आवेदकों के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। आवेदकों को रु.8,00,000/– (रु. आठ लाख मात्र) का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। आवेदकों को दुर्घटना की तिथि से इस आदेश की तिथि तक मुआवजा राशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी रेलवे को मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। प्रतिवादी रेलवे मुआवजा राशि का भुगतान इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिनों के भीतर आवेदकों को मुआवजा राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो आवेदक उनकी मुआवजा राशि पर इस आदेश की तिथि से भुगतान की तिथि तक 9% प्रतिवर्ष की दर से आगे का ब्याज (Future Interest) प्राप्त करने के हकदार होंगे। मुआवजा राशि का वितरण निम्नानुसार हैः–

आवेदक का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का विवरण	
		नकद राशि	एन्यूटी राशि/ सावधि जमा राशि
दिलीप सुनिथा पत्नी दिलीप भास्कर	5,00,000/–	50,000/– + ब्याज	4,50,000/–
दिलीप सिद्धार्थ सुपुत्र दिलीप भास्कर	1,50,000/–	15,000/– + ब्याज	1,35,000/–
दिलीप हर्षवर्धन सुपुत्र दिलीप भास्कर	1,50,000/–	15,000/– + ब्याज	1,35,000/–

13. जहाँ तक मुआवजे की राशि के वितरण का प्रश्न है, हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। गीता देवी बनाम भारत संघ (एफ.ए.ओ. 22/2015 एवं सीएमए 4501/2015) दिनांक 24 मई, 2019, मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निम्न बातों पर गौर कर आदेश पारित किया गया :–

> 5. As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990
>
> 1.1 Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the awards. There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field. The scope for such exploitation

is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. The availability of bulk funds in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation. A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour. Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims. They have been ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019. This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05 th March, 2019 in Krishnamurthi v New India Insurance Company, SLP (C) No.31521-31522 OF 2017. A statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant….."

14. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुपालन में भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2020 को अधिसूचना क्र.जीएसआर (ई) 347 जारी करते हुए रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 को संशोधित किया जो निम्नानुसार हैः–

"5. Mode of Payment -

5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimant, having due regard to the illiteracy or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable mode as shall subserve justice.

5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.

5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exigencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.

5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in Geeta Devi Vs Union of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.

15. अतः दिनांक 03 जून 2020 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 के अनुपालन के अनुसार वर्तमान केस में मुआवजा राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाता हैः–

16. प्रतिवादी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि वह ब्याज सहित मुआवजा राशि को अपर निबंधक द्वारा संचालित रेल दावा अधिकरण, नागपुर के स्युटर मनी (Suitors Money) एकाउंट में इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी रेलवे

ब्याज सहित मुआवजा राशि को जमा करते समय भुगतान का पूर्ण विवरण जैसे यू.टी.आर नंबर, ब्याज की गणना सहित प्रत्येक आवेदक के मुआवजा राशि का हिस्सा इत्यादि की सूचना पंजीकृत डाक से आवेदकों को देगा एवं इसकी एक प्रति अपर निबंधक और आवेदक के अधिवक्ता को भी देगा।

17. आवेदिका क्र.1 को प्रदान की गई मुआवजा राशि में से 10% राशि एवं ब्याज की राशि को आवेदिका क्र.1 के बचत बैंक खाते में ईसीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा। आवेदिका क्र.1 की शेष मुआवजा राशि को रु.10,000/– के 45 (पैंतालिस) समान भागों में एफ.डी. में विभाजित कर 1 से 45 माह की अवधि के लिए बढ़ते क्रम में निवेश किया जाएगा। बैंक द्वारा प्रतिमाह 1 मासिक जमा राशि + संचयी ब्याज की 1 एफ.डी. को क्रमानुसार आवेदिका क्र.1 के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। आवेदक क्र. 2 एवं 3 प्रत्येक को प्रदान की गई मुआवजा राशि में से 10% राशि एवं ब्याज की राशि को आवेदक क्र. 2 एवं 3 प्रत्येक के बचत बैंक खाते में ईसीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा। आवेदक क्र. 2 एवं 3 प्रत्येक की शेष मुआवजा राशि को रु.5,000/– के 27 (सत्ताईस) समान भागों में एफ.डी. में विभाजित कर 1 से 27 माह की अवधि के लिए बढ़ते क्रम में निवेश किया जाएगा। बैंक द्वारा प्रतिमाह 1 मासिक जमा राशि + संचयी ब्याज की 1 एफ.डी. को क्रमानुसार आवेदक क्र. 2 एवं 3 प्रत्येक के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।

18. प्रत्येक आवेदक को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते का विवरण इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करे।

19. यदि आवेदक टीडीएस कटौती की छूट के हकदार हैं तो वे फार्म 15–जी या फार्म 15–एच (वरिष्ठ नागरिक) को इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष जमा करें एवं इस स्थिति में मुआवजा राशि से किसी भी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी।

20. जीएसआर 347 (ई) दिनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5.4.4 के अनुपालन हेतु सावधि जमा के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए:–

i. आवेदकों के बचत खाते या सावधि जमा खाते पर बैंक किसी भी संयुक्त खाते की अनुमति नहीं देगा।
ii. इस अधिकरण की अनुमति के बिना आवेदकों की सावधि जमा पर किसी भी प्रकार का लोन, अग्रिम, समय पूर्व भुगतान नहीं होगा।
iii. बैंक आवेदकों को किसी भी प्रकार की चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नही करेगा। यद्यपि चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो मुआवजा राशि के भुगतान के पूर्व उसे निरस्त करेगा।
iv. बैंक आवेदकों की पासबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि आवेदकों को चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं और अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं

किए जाएंगे। आवेदक उक्त प्रविष्ठि के साथ बैंक की पासबुक इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

21. उपरोक्त आदेशानुसार इस दावे को मंजूर किया जाता है। तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

दिनांक 05.01.2024 को खुले कोर्ट में अधिघोषित किया गया।

दावा फाईल अभिलेख विभाग को सुपुर्द की जाए।

(सैयद निशात अलि)
सदस्य (तकनीकी)

(संजीव अग्रवाल)
सदस्य (न्यायिक)

नागपुर.
दिनांक : 05.01.2024

/डीके/